न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 67 / 2024

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
मोटाराम पुत्र भींयाराम जाति जाट निवासी बिलासर तहसील सिणधरी बालोतरा।		1. देराजराम पुत्र भींयाराम 2. रूपाराम पुत्र भींयाराम 3. शिवजीराम पुत्र सताराम जातियान जाट निवासीयान बिलासर तहसील सिणधरी जिला बालोतरा। 4. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर भारतीय स्टेट बैक सिणधरी। 5. तहसीलदार सिणधरी।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री पाबुराम बेनिवाल, अधिवक्ता वादी की ओर से उपस्थित।
2. प्रतिवादी सं. 5 के पैरोकार उप. शेष एकतरफा।

निर्णय

दिनांक– 25.07.2025

संक्षिप्त में वादपत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि तहसील सिणधरी पटवार कमठाई के ग्राम बिलासर के खेत खसरा सं. 14 रकबा 7.6693 हैक्टर भूमि के संबंध मे प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 08.07.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव [illegible] हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था।

तहसीलदार सिणधरी द्वारा आदेश की पालना में [illegible] माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तहसील सिणधरी में अवस्थित भूमि के मौके का विभाजन [illegible] तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादी अधिवक्ता की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार भी किया गया।

लिहाजा वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी पटवार कमठाई के ग्राम बिलासर के खेत खसरा सं. 14 रकबा 7.6693 हैक्टर भूमि के संबंध मे विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:43:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

सं.	नाम खातेदार	ग्राम	खसरा नं.	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान	बरंग
1.	मोटाराम पुत्र भींयाराम जाति जाट सा. धने की ढाणी रहन पूर्ण खाता SBBJ शाखा सिणधरी।	बिलासर	180/14	1.2688	बा.दो.	0.08	हरा
2.	1. देराजराम पुत्र भींयाराम हि. 1/5 2.रूपाराम पुत्र भीयाराम हि. 1/5 3.शिवजीराम पुत्र सताराम हि. 3/5 जाति जाट सा. धने की ढाणी रहन देराजराम का हि. 1/5 (पूर्ण) RMGB शाखा सिणधरी।	बिलासर	179/14	0.1456	गै.मु. रास्ता	—	नीला
			180/14	1.2445	बा.दो.	0.07	
			180/14	4.9538	बा.दो.	0.29	
		कुल	**3**	**6.3439**		**0.36**	
3	समस्त खातेदारान पूर्ववत यथावत (रास्ता हेतु प्रस्तावित)	बिलासर	180/14	0.0566	बा.दो	0.01	केसरिया

तहसीलदार सिणधरी को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा । डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें ।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 25.07.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:43:12 IST
Reason: SelfAttested